

प्रेषक: पवन कुमार अशुवाल  
59/54 निरहारा रोड,  
कानपुर-208001.

E-1227299/2017/RTI  
21/4/17, 'पंजीकृत डाक द्वारा'

प्रतिष्ठान में.  
सिआरू, धनश्याम मीना जी,  
अनुभाग अधिकारी (आर० टी० आई)  
भारत सरकार  
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत  
वॉडित सूचनाओं के परिपेक्ष्य में निर्धारित अधिकारी के  
पक्ष में आवेदन शुल्क भुगतान करने के सम्बंध में।

Recd  
21/4

FSO (RTI)  
21/4/17

मान्यवर, उपरोक्त सन्दर्भ में, आपके पत्रांक सं० फा० सं० आई-1-34014/184/2017-आरटीआई दिनांक-13-04-17 के परिपेक्ष्य में, प्रार्थी इस पत्र साव्य विभाग द्वारा निर्धारित अधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क धनराशि रु. 10/- का फॉरवर्ड आई सं० 58८ 272976 रु. 5/- और सं० 58८ 272977 रु. 5/- कुल रु. 10/- का सलॉन कर रहा है।

fee Recd  
P. Kumar  
21/4  
SIR

आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित बिचें गये आवेदन शुल्क के फॉरवर्ड आई स्वीकार करते हुए, प्रार्थी की अति शीघ्र वॉडित सूचनाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें। आप द्वारा प्रेषित पत्र की क्षमा प्रति सलॉन भर रहे हैं।

दिनांक 18.04.17

अपदीय

(पवन कुमार अशुवाल)

दिनांक - 18.04.17

59/54 निरहारा रोड, कानपुर।

कानपुर

- सलॉन: ① दो फॉरवर्ड आई रु. 5/-  
② पत्र की क्षमा प्रति।

फ.स.आई-1-34014/84/2017-आरटीआई  
भारत सरकार  
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

दिनांक- 13.04.2017

सेवा में,

श्री पवन अग्रवाल  
59/54, बिरहाना रोड  
कानपुर - 208001

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री पवन अग्रवाल से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनांक 30.03.2017 जो की इस मंत्रालय में दिनांक 05.04.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सूचना मांगे जाने के संबंध में है।

2. इस संबंध में यह देखा गया है कि आपके द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल ऑर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाट ही की जा सकती है। 05/- रु0 के दो IPOs 58C 272974, 58C 272975 इसके साथ वापस किया जा रहे हैं।

भवदीय

चित्तम्भान मीना

(घनश्याम मीना)

अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई)

फ.स.आई-1-34014/84/2017-आरटीआई  
भारत सरकार  
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

दिनांक- 13.04.2017

सेवा में,

कुमार  
श्री पवन अग्रवाल  
59/54, बिरहाना रोड  
कानपुर - 208001

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री पवन अग्रवाल से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनांक 30.03.2017 जो की इस मंत्रालय में दिनांक 05.04.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सूचना मांगे जाने के संबंध में है।

2. इस संबंध में यह देखा गया है कि आपके द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के पता में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल ऑर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 05/- रु0 के दो IPOs 58C 272974, 58C 272975 इसके साथ वापस किया जा रहे हैं।

भवदीय

all  
चक्रवर्ती मीना

(चक्रवर्ती मीना)

अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई)

Verma  
13/4/17



भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया पत्रादेश संख्या १०००/१९६८ दिनांक १०/०५/६८ के अन्तर्गत जारी किया गया है।

NOT NEGOTIABLE

# भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक विभाग के महासंचालक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.



PAY TO जन सूचना अधिकारी  
संस्कृत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

पत्रादेश की राशि THE SUM OF RUPEES FIVE ONLY

डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

रुपय 5.00 Rs.

बर्तमान COMMISSION फी 50 PAISE

इसके अलावा नाम और पता यहाँ लिखें।  
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT

NEW DELHI

P. K. Agarwal.  
59/54 Barhawa Road  
Kanpur.

के द्वारा जारी किया गया है।

डाक विभाग के महासंचालक POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखें। DO NOT WRITE BELOW THIS LINE


58C 272975

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया पत्रादेश संख्या १०००/१९६८ दिनांक १०/०५/६८ के अन्तर्गत जारी किया गया है।

NOT NEGOTIABLE

# भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक विभाग के महासंचालक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.



PAY TO जन सूचना अधिकारी  
संस्कृत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

पत्रादेश की राशि THE SUM OF RUPEES FIVE ONLY

डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

रुपय 5.00 Rs.

बर्तमान COMMISSION फी 50 PAISE

इसके अलावा नाम और पता यहाँ लिखें।  
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT

NEW DELHI

P. K. Agarwal.  
59/54 Barhawa Road  
Kanpur.

के द्वारा जारी किया गया है।

डाक विभाग के महासंचालक POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखें। DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

58C 272974

प्रेषक: पवन कुमार अग्रवाल

59/54 विरहना रोड,

कानपुर-208001

'शीइपोस्ट द्वारा'

प्रतिष्ठा में,

श्रीमान्, जन-सूचना अधिकारी,  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,

30.03.17

भारत सरकार  
1, संसद भवन, ट्रांसपोर्ट भवन,  
नई दिल्ली-1

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 के अन्तर्गत कौन्सिल महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

मान्यवर, उपरोक्त सन्दर्भ में, प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र आपके सम्बन्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ अजित करने हेतु प्रेषित कर रहा है जिसे लिये निर्धारित फीस चनराशि रु.10/- का पोस्टल ऑर्डर से <sup>SBC</sup> 272727, 272727 रु. 5/- each. दिनांक- 29.03.17 इस पत्र साथ संलग्न है।

RTI

सम्बन्धित सूचनाएँ: जनपद - फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के कि०मी० 507.470 से कि०मी० 597.800 (चमेरी-इलाहाबाद रोड) में शीशवीतक) चौड़ा करने/दुः लेन का बनाने आदि।

249



वांछित सूचनाएँ :-

Ob C R. Gollan (RTI)  
Daily No 1224920/2017/CR  
Date 5/4/2017

आपके द्वारा जारी अधिसूचना सं० 397 दि० 15.02.2016 दैनिक जागरण, कानपुर में प्रकाशित दिनांक- 2 मार्च 2016 से सम्बद्ध अग्रसूची जिसने तहसील- बिनदकी, जिला-फतेहपुर

100 नमो रक

मि 5/4/17

पन्ना 2



उत्तर प्रदेश के तहत ग्राम- गौधरीली, आँगा, पातेपुर के तहत सर्वेक्षण  
संख्या- 289 क्षेत्रफल- 0.1020, सं० 290 क्षेत्र 0.0340, सं० 325  
क्षेत्र 0.1360 अजनि हेतु केंद्रिय सरकार से उक्त तिथि से निर्दिष्ट हो  
चुकी है।

जिसके तहत, प्रार्थी को निम्न सूचनाएँ वाँछित हैं :-

- (1) उक्त सम्बन्धित भूमि अजनि की वर्तमान में क्या विधि, सिमित है।  
एवं सम्बन्धित कायदा की क्या अपेक्षित है।
- (2) यह कि सम्बन्धित आँगांगिक इकाई की आराजी का कितना भाग  
अधिग्रहण कायदा से समाहित किया जाना अपेक्षित है एवं उसका  
भाषन किस तरह से सुनिश्चित किया गया है।
- (3) यह कि उक्त भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का सम्पादन कब तक होगा  
एवं उस पर क्या औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी।
- (4) यह कि उत्पादन रत आँगांगिक इकाई में भूमि अधिग्रहण का क्या  
भाषन तय किया गया है। उसमें निर्मित भाग एवं स्थापित प्लॉट  
एवं मशीनरी का समावेशन किस आधार पर निर्धारित किया गया है।
- (5) यह कि उक्त आँगांगिक भूमि के अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति दर क्या  
निर्धारित की गई है। एवं उसका भाषन किस स्तर पर तय किया जाता  
है। एवं आँगांगिक भूमि की प्रकृति का प्रकाशन क्यों नहीं किया गया।  
मान्यवर जी से अनुरोध है कि प्रार्थी को उक्त वाँछित -  
सूचनाएँ अति शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

धन्यवाद।

अवधीय

दि० 30.03.17  
संलग्न :  
कोसल आरि. सं. के दो.  
उपरोक्ता आरि.

(पवन कुमार अग्रवाल)  
59/54 किराना रोड, कानपुर-1  
आ० न०.

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET  
NEW DELHI - 110001

Receipt No. 5016

Dated 27/9/17

Received RTI Application dated.....

from Sh. Smt. / Mr. P.K. Aggarwal

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten  
Only) / Fee of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_

only) for providing information under RTI Act 2005 in

Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. 58C 272976 (5)

Dated .....  
58C 272977 (5)

(5/- each)



Signature / Receipt Official (IFC)